डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 220/2022

वादी

1. हरेन्द्र पाल पुत्र भोमाराम
2. रविकान्त पुत्र भोमाराम जातियान जाट निवासीगण अड़ंसिंगा तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोमाराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी अड़सिंगा तहसील जायल जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1 व 2 की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट।

3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश गोदारा एडवोकेट।

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 हरेन्द्र पाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा के खेत खसरा नम्बर 44/1 रकबा 1.4973 हैक्टेयर एवं खसरा नमबर 120/1 रकबा 5.0505 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 रविकान्त के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा के खेत खसरा नम्बर 396/1 रकबा 0. 8984 हैक्टेयर एवं खसरा नमबर 195/1 रकबा 5.5037 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 भोमाराम के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

Scanned with CamScanner